भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3024

जिसका उत्तर 22.03.2021 को दिया जाना है

कार्य को पूरा न करने के लिए रियायतग्राहियों पर शास्ति का प्रावधान

3024. श्री नीरज डांगी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाली से पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-62 टोल मार्ग का निर्माण पूरा नहीं करने के कारण रियायतग्राहियों से शास्ति वसूलने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और रियायतग्राहियों के बीच समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) 'पंच लिस्ट (पंच सूची)' में दर्शाया गया कार्य कब तक पूरा किया जाएगा; और

(घ) निर्धारित समय के अंदर 'पंच लिस्ट (पंच सूची)' का कार्य पूरा न करने के लिए प्रतिदिन कितनी शास्ति और अधिकतम कितनी शास्ति का प्रावधान है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): रियायत समझौते के अनुच्छेद-क के खंड 14.4.1, अनुच्छेद-17 के खंड 17.7.3 और अनुच्छेद-17 के खंड 17.8.1 में संविदा प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए रियायतग्राही से हर्जाना वसूलने का प्रावधान है।

(ग): पंच सूची मदों में सूचीबद्ध किए गए अधिकतम कार्य पूरे कर लिए गए हैं। सुरंग का लगभग 60-70% कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष कार्य को जुलाई 2021 तक पूरा कर लिए जाने की समयसीमा है।

(घ): रियायत समझौता के पंच सूची मदों को पूरा करने के संबंध में अनुच्छेद-14 के खंड 14.4.1 के अनुसार, जो बताता है कि "सभी मदों के पूरा होने तक विलंब के प्रतिदिन के लिए गणना की जाने वाली और भुगतेय के लिए प्राधिकरण रियातग्राही से (क) निष्पादन प्रतिभूति का 0.1%, और (ख) स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा अनुमान के अनुसार ऐसी मदों को पूरा करने की लागत का 0.2% से कम पर हर्जाना वसूल करने के लिए हकदार होगा"।

*****